

पत्र संख्या : ७विंशां०/स्थापना व्यय-१५-०२/२०२० ज०सं० ०२

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रॉची ।

रॉची, दिनांक ०१/०५/२०२१

विषय :— वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के दौरान ४९S27018000101 अन्तर्गत कुल रु ३३२.३२ लाख (तीन करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ में बजट मुख्य शीर्ष २७०१- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है।

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग / २७०१-मध्यम सिंचाई	८० सामान्य /००१-निदेशन तथा प्रशासन	०१-मुख्यालय सचिवालय रथापना	३३२.३२०

आवंटित राशि —

रुपये तीन करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के बजट उपबंध रुपये ३३२.३२ (तीन करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय राज्य का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १३६३ दि. ०९.०५.१६ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्यय एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

२८/१


(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अधिकारी)

१०

१०  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अधिकारी)

7. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. विहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अगिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
11. वित्त विभाग के पत्रांक -29 / बी०टी०ई० -18/2014-15/300 दिनांक - 30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Access No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः रोवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु. :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- ०२

रॉची, दिनांक :- ०१/०४/२०२१

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- ०२

रॉची, दिनांक :- ०१/०४/२०२१

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख। एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं गोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को **Online Sanction** निर्गत करने हेतु/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

मां संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना

परिषिक्षा I

पत्रांक ५२ दिनांक ०१/०५/११ का अनुलग्नक

(आवंटित राशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2021-2022	विस्तृत शीर्ष-01-बैतन एवं भत्ते शीर्ष-02- यात्रा यात्रा	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विस्तृत शीर्ष-04- माटर्याडिया मोटरयाडिया इंधन एवं मानवान्वयों मानवान्वयों मानवान्वयों मानवान्वयों	विस्तृत शीर्ष-07- अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रुपये में)
कार्यालय का नाम तिप्प कोड	वैतन एवं दैरों सीर्ष- देशीय यात्रा कार्यालय व्यय उपकरण सामग्री	देशीय यात्रा कार्यालय व्यय उपकरण सामग्री	आमूल्त एवं दूसारा मोटरयाडिया इंधन एवं मानवान्वयों मानवान्वयों मानवान्वयों मानवान्वयों	विधि प्रमार कुल योग अनियुक्त	
1	2	3	4	5	6
उप सचिव - सह- निकायी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रांची।	आवंटन 303.970	1.000	4.000 10.000 2.000 2.500 1.850 5.000 2.000 332.320	9	7
				10	11
				12	13
				14	

आतिरिक्त आवंटित राशि-

रूपये तीन करोड़ बत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र

25/05/2021

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अमित)

25/05/2021

(अशोक तुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अमित)

25/05/2021

(प्रशांत कुमार)  
सचिव